लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स बुद्धा उत्तम जेवी, डायरेक्टर–श्री अमित कुमार, पिता–श्री विनोद कुमार सिंह, 302, माया एन्क्लेव, रोड नंबर–10, पटेल नगर, पटना द्वारा भोजपुर सोन–33 बालू घाट, मौजा–खैरा, अंचल–सहार, जिला–भोजपुर के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिताम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 19.09.2023 को अपराह्न 03:00 बजे भोजपुर जिला के अंचल कार्यालय, सहार, जिला–भोजपुर में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2368/2023, dated 25.04.2023 के आलोक में श्री सत्य प्रकाश, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भोजपुर (जिला पदाधिकारी, भोजपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 19.09.2023 को अपराह्न 03:00 बजे अंचल कार्यालय सहार, जिला–भोजपुर में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, दैनिक भास्कर के माध्यम से दिनांक 17.08.2023 को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव / विचार / मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सार्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा । वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में

वृक्षारोपण (570 नं0)का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री बीरबल यादव, ग्राम–खैरा, जिला–भोजपुर	इनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन होना चाहिए। इससे लोगों को रोजगार मिलता है। बालू खनन सुचारू रूप से प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण के साथ होना चाहिए।
2.	श्री इमाम, ग्राम–खैरा, जिला–भोजपुर	इनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन परियोजना के दौरान बालू से लदा गाड़ी तिरपाल से ढ़ककर नहीं ले जाया जाता है, ओभर लोडिंग किया जाता है। जिसके कारण बालू सड़क पर गिर जाता है, और बहुत धूल–कण उड़ता है। जिससे आने–जाने वाले लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि यह परियोजना नया है इस परियोजना के दौरान सारे उपाय का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3.	श्री शंभू सिंह, ग्राम–खैरा, जिला–भोजपुर	इनके द्वारा सुझाव गया कि बालू खनन परियोजना में स्थानीय ग्रामीण को बालू मुफ्त में उपलबध कराया जाय। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू मुफ्त में उपलब्ध कराने का प्रावधन नहीं है।
4.	श्री राजेश राय, ग्राम– परेहाप, जिला–भोजपुर	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना के दौरान संवेदक द्वारा क्या–क्या प्रबंध किये जायेंगे। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू से लदा गाड़ी तिरपाल से ढ़ककर ले जाया जायेगा, ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा,

		यातायात के नियमों को सुनिश्चित किया जायेगा। दिन में 03 बार जल–छिड़काव किया जायेगा, PUC Registered वाहन का ही उपयोग किया जायेगा एवं वृक्षारोपण किया जायेगा। पेय जल, मजदूरों के आराम करने के लिए एक शेड का निर्माण इत्यादि किया जायेगा।
5.	राजा रवीन्द्र चौधरी, ग्राम–सहार, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि जिला में खनिज विकास फाउन्डेशन में संचित राशि से सहार बालिका उच्च विद्यालय को भी लाभन्वित करते हुए स्कूल में शौचालय, बैच डेस्क इत्यादि उपलबध करायी जाय। अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि आप इस हेतु लिखित में प्रस्ताव दें। जिला स्तर से कार्य के लिए उनके द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि बालू का उपयोग निर्माण कार्य में किया जाता है एवं राज्य का विकास होता है। विकास के साथ पर्यावरण पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

पौधों का रख–रखाव स्थानीय ग्रामीण के द्वारा ही सुनिश्चित कराया जाय।

उनके द्वारा बताया गया कि अगर काम प्रारंभ होगा तो सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। स्थानीये लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। गाँव की अर्थ–व्यवस्था में एवं प्रभावित क्षेत्र का विकास में तेजी आयेगी।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सक्षम प्राधिकार को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

22-9-23

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद,पटना

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
भोजपुर

उपस्थिति सूचि

मेसर्स बुद्धा उत्तम जेवी, डायरेक्टर–श्री अमित कुमार, द्वारा भोजपुर सोन–33 बालू घाट, मौजा–खैरा, अंचल–सहार, जिला–भोजपुर में आयोजित लोक–सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

स्थान–अंचल कार्यालय, सहार   दिनांक 19.09.2023   समय–03:00 P.M.

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	सत्य प्रकाश	समाहरणालय, भोजपुर	[signature] 19/9
2.	आशीष कुमार गुप्ता	क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि०रा० प्र०नि०पर्षद, पटना	आ 19-9-23
3.	श्यामानन्द ठाकुर	खान निरीक्षक जिला खनन कार्यालय भोजपुर	[signature]
4.	नीतिश कुमार	PARA Solution, Noida Env. Consultant.	Nitish kr
5.	Amit Kumar	[illegible], Magic Residence, Road No 10, Patel Nagar, Patna	Kumar 19/9/23
6.	Brijkishore mishra	श्रमजीवी पत्रकार पटना	Brijkishore mishra
7.	मनउवर ईमाम	खैरा, सहार, भो०	[signature]
8.	धनंजय कुमार	खैरा	धनंजय कुमार
9.	राम कुमार	खैरा	राम कुमार
10	Rajesh Rai	PCRhaP	Rajesh Rai
11	राकेश कुमार	हरसु टोला सहार	Rakesh kumar
12	अखिलेश कुमार	हरसु टोला	अखिलेश कुमार
13	सुधीर कुमार	खैरा	Sudhir kumar
14	ओमप्रकाश सिंह	खैरा	ओमप्रकाश सिंह
15	अजाद खान	खैरा	Azad Khan

९२

16	मुन्ना यादव	खैरा	मुन्ना यादव
17	अनिल कुमार	खैरा	[illegible]
18	मुकेश राय	खैरा	MuKesh Ray
19	बिरबल यादव	खैरा	बिरबल यादव
20	राणा रविन्द्र चौधरी	Ex member B.D.C खैरा	[illegible]
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			